न्यायालय– प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, ग्वालियर (म0प्र0)

(समक्षः अमित मालवीय)

सक्सेशन प्रकरण क्रमांकः– 126/2022
संस्थित दिनांकः– 17.10.2022
फाईलिंग नंबरः– 19293/2022

कृष्णा शर्मा पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र शर्मा, आयु– 19 वर्ष, व्यवसाय– अध्ययन, निवासी– अन्ना महाराज का मंदिर, निम्बालकर की गोठ नं.2, लश्कर, ग्वालियर, म.प्र.

.....**आवेदक**

बनाम

1. भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा बाड़ा, लश्कर, ग्वालियर, म.प्र. द्वारा– शाखा प्रबंधक
2. सर्वसाधारण
3. भारतीय स्टेट बैंक शाखा कंपू द्वारा प्रबंधक, शाखा कंपू, लश्कर, ग्वालियर, म.प्र.

..... **अनावेदकगण**

// आदेश //

(आज दिनांक 28.11.2024 को पारित किया गया)

1. इस आदेश के द्वारा आवेदक की ओर से स्वर्गीय रतन शर्मा की मृत्यु के उपरांत देय/जमाशुदा राशि मय ब्याज के प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है।

2. आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक के पिता राजेन्द्र प्रसाद की मृत्यु दिनांक 26.08.2005 को एवं मां रतन शर्मा की मृत्यु दिनांक 11.03.2017 को हो चुकी है। आवेदक मृतक राजेन्द्र प्रसाद एवं रतन शर्मा का एकमात्र पुत्र है, आवेदक के अलावा मृतक की अन्य कोई संतान नहीं है। स्व. रतन शर्मा के नाम से अनावेदक क्रमांक–1 की शाखा कंपू में बचत खाता क्रमांक 53009475803 था, उक्त शाखा भारतीय स्टेट बैंक की महाराज बाड़ा लश्कर, ग्वालियर मुख्य शाखा में मर्ज हो चुकी है। आवेदक उक्त बचत खाते में जमा राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। स्व. रतन शर्मा के नाम से अनावेदक बैंक में खाता क्रमांक 36114376923 एवं खाता क्रमांक 35874464888 स्थित है। आवेदक के द्वारा उपरोक्त खातों में जमा राशि के भुगतान हेतु अनावेदक बैंक से संपर्क किये जाने पर बैंक के द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की मांग की गई थी। अतः मृतक रतन शर्मा की मृत्यु के उपरांत देय/जमाशुदा राशि के संबंध में आवेदक के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने का निवेदन किया।

3. अनावेदक क्रमांक–1 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अभिवचन

किया गया है कि रतन शर्मा का अनावेदक क्रमांक–1 की शाखा कंपू में बचत खाता क्रमांक 53009475803 होना लेकिन यह खाता अनावेदक क्रमांक–1 की बेंक में संचालित नहीं है एवं खाता क्रमांक 36114376923 व खाता क्रमांक 35874464888 अनावेदक क्रमांक–1 बैंक में स्थित नहीं है। उक्त खाते शाखा कंपू में स्थित हैं। आवेदक द्वारा अनावश्यक रूप से अनावेदक क्रमांक–1 को पक्षकार बनाया गया है।

4. अनावेदक क्रमांक–1 सर्वसाधारण की उपस्थिति के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्र ''नवभारत'' में दिनांक 14 मई 2023 को विज्ञप्ति प्रकाशित किये जाने के उपरांत भी आगामी नियत दिनांक 20.06.2023 को सर्वसाधारण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।

5. अनावेदक क्रमांक–3 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अभिवचन किया गया है कि खाता क्रमांक 53009475803 होना रिकॉर्ड से संबंधित हैं। अनावेदक बैंक के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार खाता क्रमांक 36114376923 में दिनांक 10.07.2024 को 2,40,000/– रूपये एवं खाता क्रमांक 35874464888 में दिनांक 10.07.2024 को 66,596/– रूपये की राशि जमा है।

6. प्रकरण में निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय है :–

1– क्या रतन शर्मा की मृत्यु दिनांक 11.03.2017 को हो गई है ? यदि हॉ तो–

2– क्या आवेदन पत्र में उल्लेखित मृतक रतन शर्मा की मृत्यु उपरांत देय/जमाशुदा राशि के संबंध में आवेदक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पाने का अधिकारी है ?

3– सहायता एवं व्यय।

विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रमांक–1 लगायत 3 का निराकरणः–

7. उपरोक्त बिंदुओं के संबंध में आई साक्ष्य परस्पर अंर्तमिश्रित होने से साक्ष्य के दोहराव से बचने के लिये सभी विचारणीय बिंदुओं पर एक साथ विचार किया जा रहा है।

8. साक्षी कृष्णा शर्मा (आ.सा.01) के द्वारा न्यायालय में किये गये कथनों के माध्यम से आवेदन का समर्थन किया गया है। मामले में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में स्व. रतन शर्मा का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–1, स्व. राजेन्द्र प्रसाद का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–2, स्व. रतन शर्मा का आधार कार्ड प्रदर्श पी–3, हाईस्कूल की मार्कशीट प्रदर्श पी–4, आवेदक कृष्णा शर्मा का आधार कार्ड प्रदर्श पी–5, एफ.डी. प्रदर्श पी–6 व प्रदर्श पी–7, प्रस्तुत किये गये हैं।

9. आवेदक के द्वारा अपने आवेदन में बचत खाता क्रमांक 53009475803 के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने का निवेदन किया है परंतु उसकी ओर से उक्त बचत खाते की पासबुक प्रस्तुत नहीं की गई और न ही अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। अनावेदक क्रमांक–3 द्वारा प्रस्तुत उनके जवाब में भी आवेदक के पिता मृतक राजेन्द्र प्रसाद अथवा माता रतन शर्मा का खाता संधारित किये जाने व उक्त खाते में कोई राशि होने के संबंध में कोई कथन नहीं किये गये। अतः अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं है कि बचत खाता क्रमांक 53009475803 आवेदक के पिता राजेन्द्र प्रसाद एवं माता रतन शर्मा द्वारा संधारित किया गया हो तथा उसमें उनको देय कोई राशि बची है।

10. आवेदक पक्ष की साक्ष्य इस तथ्य पर अखंडित है कि रतन शर्मा की मृत्यु दिनांक 11.03.2017 को हो चुकी है। आवेदक कृष्णा शर्मा, मृतक रतन शर्मा का पुत्र होकर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार वर्ग–1 का उत्तराधिकारी है। खाता क्रमांक 36114376923 एवं खाता क्रमांक 35874464888 आवेदक की माता रतन शर्मा द्वारा संधारित किये जाते रहे है। खाता क्रमांक 36114376923 में दिनांक 10.07.2024 को 2,40,000/– रूपये एवं खाता क्रमांक 35874464888 में दिनांक 10.07.2024 को 66,596/– रूपये की राशि जमा है। ऐसी दशा में पुत्र होने के कारण आवेदक कृष्णा शर्मा के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।

11. प्रकरण में आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में किये गये अभिवचन एवं साक्ष्य से निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं कि :–

1. आवेदक कृष्णा शर्मा के पक्ष में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 372 के अंतर्गत प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में कोई बाधा नहीं है।
2. आवेदक कृष्णा शर्मा, मृतक का जीवित सर्वोत्तम उत्तराधिकारी होने के आधार पर अनावेदक क्रमांक–3 के पास जमा राशि को प्राप्त करने का अधिकारी है।
3. मामले में जिस संपत्ति के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहा गया है वह संपत्ति बैंक में जमा राशि के रूप में चल संपत्ति है।

12. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक अपना आवेदन आंशिक रूप से प्रमाणित करने में सफल रहा है। फलतः आवेदक कृष्णा शर्मा, मृतक रतन शर्मा की निम्नलिखित देय/जमाशुदा राशि मय ब्याज, के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पाने का अधिकारी पाया जाता है :–

जमाकर्ता का नाम	**विभाग/बैंक का नाम, खाता क्रमांक**	**मद जिसमें राशि भुगतान की जाना है।**	**भुगतान योग्य राशि**
स्वर्गीय रतन शर्मा	भारतीय स्टेट बैंक, शाखा कंपू, लश्कर, ग्वालियर, म.प्र. में एफ. डी. खाता क्रमांक 36114376923	एफ.डी. खाता राशि	2,40,000/– रूपये मय ब्याज
––"––"––	––"––"–– में एफ.डी. खाता क्रमांक 35874464888	एफ.डी. खाता राशि	66,596/– रूपये मय ब्याज
		कुल राशिः–	**3,06,596/– रूपये मय ब्याज**

13. आवेदक कृष्णा शर्मा के द्वारा उपरोक्त बैंक में जमाशुदा राशि एवं अर्जित ब्याज का विवरण प्रस्तुत करने, भुगतान योग्य राशि पर देय विधि अनुसार न्यायालय शुल्क, उक्त राशि के समतुल्य राशि के बंधपत्र एवं इतनी ही राशि की प्रतिभूति तीन वर्ष की अवधि के लिये (इस आशय की पेश करने पर कि भविष्य में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है और किसी अन्य व्यक्ति को उक्त राशि प्राप्त

करने का अधिकारी पाया जाता है तो आवेदक उपरोक्त राशि न्यायालय में जमा करायेगा) प्रस्तुत करने पर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाये।

दिनांक 28.11.2024 **मेरे बोलने पर टंकित।**
स्थान — ग्वालियर।

—सही—
(अमित मालवीय)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश
ग्वालियर म.प्र.

AMIT MALVIYA
Digitally signed by AMIT MALVIYA
Date: 2024.11.28 17:13:19 +0530